षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० डा० अशोक कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-139) श्री रामदेव राय, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स०	"ईराक में कार्यरत 39 भारतीय श्रमिकों को जून, 2014 में आतंकवादी गुटों द्वारा बंधक बना लिया गया था जिनकी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गयी है । ये मजदूर तारिक नुर अल हुड्डा कन्सट्रक्सन कम्पनी में कार्यरत थे । इन मजदूरों में पांच क्रमशः स्व० संतोष सिंह व स्व० विपाधुषण तिवारी, ग्राम-सहसराव, पो०-आसाव, थाना-आसाव, स्व० धर्मेन्द्र कुमार, ग्राम-मैरवा टोल हरपुर, थाना-मैरवा, स्व० अदालत सिंह, सिसवां खूर्द, पो०+थाना-मैरवा तथा स्व० सुनील कुमार कुशवाहा, ग्राम+मौजा-टरवॉ, अंचल-सिवान सदर, सभी सिवान जिला के रहने वाले थे । वर्ष 2014 से लापता इन मजदूरों के परिवार गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं । श्रमिकों के परिजन भारत सरकार के विदेश मंत्री से मिलकर अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति से अवगत कराया, जिसके आलोक में भारत सरकार के सचिव ने पत्रांक-1385/सचिव (पूर्व) 2015 के द्वारा बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र इस निदेश के साथ भेजा गया कि बिहार सरकार भी पंजाब सरकार की तरह लापता हुए श्रमिकों के परिवार को 20 हजार रूपया प्रतिमाह मुआवजा भत्ता स्वीकृत करने का कष्ट करे । अतः इन पांचों श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा भत्ता स्वीकृत करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	श्रम संसाधन गृह

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री हरि शंकर यादव, स०वि०स० श्री शमीम अहमद, स०वि०स० श्री विजय प्रकाश, स०वि०स० श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स० श्री जितेन्द्र कुमार राय, स०वि०स०	"बिहार राज्य में मिट्टी के अवैध कटाई के दौरान पकड़े जाने वाले गरीब मजदूर एवं ड्राइवर को थाने के स्तर से जमानत नहीं दिया जाता है, जबकि इस अवैध कटाई या ढुलाई के लिए अन्य लोग जिम्मेदार होते हैं । इन गरीबों के पकड़े जाने से इनके साथ-साथ इनका पूरा परिवार प्रभावित होता है, इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति आ जाती है । अत: मानवता को ध्यान में रखते हुए इन्हें थाने के स्तर से जमानत देने की व्यवस्था करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/18-1828-1838 / वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / श्रम संसाधन विभाग एवं गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
27.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/18-1828 – 1838/ वि०स०, पटना, दिनांक-27 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
27.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।